भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

95

प्रकरण क्रं. निगरानी निग-496-II-16

5-2-16

50

5/2/16

1.रामचरण

2. मिजाजी

3. भूरा पुत्रगण श्री रामकिशोर यादव

4. शिवनारायण पुत्र श्री भईया राम

समस्त निवासीगण - दुमोडा तहसील-चंदला, जिला -छतरपुर, (म0 प्र0)

-आवेदकगण

बनाम

1.रामकिशोर अहिरवार पुत्र श्री दनिराम अहिरवार निवासी- ग्राम- रायपुर तहसील- चंदला, जिला -छतरपुर, (म0 प्र0)

2. म.प्र. शासन

- अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2016 द्वारा पारित अनुविभागिया अधिकारी लवकुश नगर / गोरिहार, छतरपुर म. प्र. प्रकरण क्रमांक 142/अपील/2013-14</u>

5/2/16

राजस्व मण्डल ग्वालियर

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चंदला छतरपुर के समक्ष प्रकरण क्रं0 48/अ-19(1) 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 23-08-1998 के तहत खसरा नं0 21/04 रकवा 0.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-496-दो/2016 जिला छतरपुर रामचरण विरूद्ध रामकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्वत उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर के प्रकरण क्रमांक 142/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 07-01-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-02-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7-1-19
सदस्य